

# कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-व-15(35)आरपीए/जन/पी.डी.एफ./2023-24/5380

दिनांक :- 15.9.23

## ई-बोली आमंत्रण सूचना


विभिन्न वस्तुओं के प्रदाय(supply)हेतु ई-बोली(e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक.....19-09.2023 को प्रातः 11.00 बजे से वेबसाइट<http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक...27-09.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उक्त वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑनलाईन स्कैन करने होंगे तथा दिनांक .....29-09.2023 को दोपहर 3.00 पी.एम तक सैम्पल सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करवाने होंगे।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बन्धी अन्य विवरण को वेबसाइट<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>अथवा विभागीय वेबसाइट<http://www.rpa.rajasthan.gov.in>अथवा राजस्थान सरकारके राज्य लोक उपापन पोर्टल(<http://sppp.raj.nic.in>)पर देखा जा सकता है।


क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (रूपयों में)	निविदा शुल्क	सप्लाई अवधि (दिनों में)
1.	संस्था में इण्डोर प्रशिक्षण हेतु स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने हेतु सामान क्रय करने बाबत। 1- Interactive Display (98")-2 2- PLFD (98")-1 3- Digital Podium-1 4- PTZ Camera-2	परिशिष्ट-ई के अनुसार	19.97 लाख	40,000/-	500/- रु.	आवश्यकता-नुसार सप्लाई आदेश में दी गई दिनांक तक

नोट- बजट की उपलब्धता के अनुरूप उपरोक्त सामान में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

  
निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान, को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
- निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को ई-बोली आमंत्रण की पांच प्रतियों सहित।
- सहायक निदेशक(प्रशासन), एवं नोडल अधिकारी आरपीए, जयपुर।
- प्रोग्रामर, आरपीए जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPPपोर्टल(<http://sppp.raj.nic.in>),Eproc(<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>)की वेबसाइट एवम् विभागीय वेबसाइट <http://www.rpa.rajasthan.gov.in>पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), सी.आई.डी. (अपराध शाखा) पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को मय ई-बोली आमंत्रण का सैट उपरोक्तानुसार शीघ्र प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।
- लेखा प्रभारी, आरपीए जयपुर।
- नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

  
निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

# कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

## परिशिष्ट ई (BOQ)

संस्था स्थित इण्डोर प्रशिक्षण हेतु स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने हेतु सामान्य कथ हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन:-

सामान्य शर्तों से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 33 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे:-

**स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने** के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेशिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. :- कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

(ख) मात्रा :- निम्नानुसार

(ग) कुल सप्लाय अवधि-सप्लाय आदेश में दी गई दिनांक तक।

(घ) स्पेशिफिकेशन:- स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार होगा :-

### Technical Specification of Smart Classroom Solution

S. No.	Product	Qty	Unit Price Per Unit in (Rs.)	Total Price With G.S.T.
1	Interactive Display (98")	2		
2	PLFD (98")	1		
3	Digital Podium	1		
4	PTZ Camera	2		

#### सामान्य शर्तें:-

- उपरोक्त कार्य अनुबंधित अवधि तक होगी।
- बोली में दर्शित प्रत्येक वस्तु की दर मय स्पेशिफिकेशन के अनुसार अंकित की जाएं।
- उपकरण/वस्तु के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज स्केन करके ई-निविदा के साथ दिये जावे।
- विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट में अंकित प्रत्येक आइटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर सभी करों सहित दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेशिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
- अन्य समस्त दस्तावेज जो निविदादाता निविदा के साथ देना उचित समझे, स्केन करके ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करें।
- तकनीकी मूल्यांकन क समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति/क्रय समिति या निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जाएगा।



निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

# Technical Specification of Smart Classroom Solution

परिशिष्ट-ई

<b>Technical Specifications for 98" Interactive Display</b>	
Feature	Descriptions
<b>Interactive display</b>	
Screen size	98" or higher
Resolution	UHD 3840 × 2160 pixels or Higher
Brightness (typical)	500 nits or Higher
Contrast ratio (typical)	5000:1 or Higher
Response time	2 ms or Better
Light life (typical)	50,000 hrs or Higher
Smart Eye protection	Interactive display should have smart eye protection.
Auto Brightness Control	Interactive display should have inbuilt Light sensor to control brightness automatically based on ambient light.
<b>Glass</b>	
Hardness	4 mm tempered AG Glass or Better
Anti-glare coating	Interactive display should have Anti-glare coating
<b>Touch screen</b>	
Touch technology	Infrared touch
Touch points	20 touch points or Higher
Touch response time	< 4 ms or Better
<b>System</b>	
CPU	Quad core 1.9 GHz or Better
Memory	8GB DDR3/DDR4 or Higher
Storage	64GB or Higher and expandable up to 512 GB
OS	Android 11.0 or Better
<b>Input/ Output ports</b>	
Input Ports (minimum)	3 × HDMI, 1x DP, 1x VGA, 1x YBPR In, 1 x AV (3.5mm), 1x Mic in (3.5mm), 1x PC Audio In, 1 x TF card (Micro SD), 1 x Slot-in PC (OPS) or Higher
Output Ports (minimum)	1 × HDMI, 1 x AV (3.5mm), 1x Earphone, 1x SPDIF or Higher
USB Ports (minimum)	5 × USB 3.0 Type A, 2 × USB Type C, 2 × USB Type B (touch) or Higher
Communication Ports (minimum)	1x RS232 In, 2 x RJ45 10/100/1000 Gigabit ethernet port (In & Out) or Better
<b>Built-in peripherals</b>	
Speaker	Stereo Sound with in-built 25 Watt x 2 speakers and subwoofer of 25 watt or higher
Magnetic pen holder	Should have inbuilt magnetic pen holder with up to two pens
Tutor friendly experience	Should have control buttons on Interactive display like Volume UP/Down, Home, Back, Menu, Touch on/off & Power Buttons for ease in teaching.
Quiz	Should have in built tool to allow participants to submit answers from their Smart Phones (Answering/Voting/Messaging)
Smart Multimedia Port	Should have Built in Type-c multimedia port on front side to deliver Video, Audio, Touch control, Internet Sharing and Fast charging of up to 65 watt using a single USB type C cable
SD Card Support	Should have provision to connect SD card supports up to 512 GB of Storage
SIM Card Module	Interactive Display should have inbuilt Sim card module to support 3G/4G Sim cards
Built in Wi-fi	Should have inbuilt Dual band Wi-fi (2.4 & 5Ghz)
Built-in Hotspot	Should have inbuilt Hotspot Dual band (2.4 & 5Ghz) with internet sharing across the connected devices
Stylus	Should have minimum 2 Nos of Stylus

Remote control	Should have remote control to operate the Interactive display
<b>Software</b>	
Whiteboard Interactive Software	Should have inbuilt whiteboard software for teaching/ training using Interactive display with Quiz results should be imported into whiteboard application Interactive software should be of the same OEM. Interactive software of the interactive Display should detect the Visual Presenter/ Visualiser and should be able to annotate on the image captured by the Visual Presenter/ Visualiser.
Wireless screen sharing	Interactive display should allow user to share/mirror the content of Laptop/Desktop and mobile device(Android) wirelessly and should have Screen Share software to show up to 4 Multiple screen at same time.
Quick access tool	Floating Tool should be available on all screen for quick access tools and same should be customized as per user requirement.
Play Store Support	Should have Built in Google Play store to download applications direct from Play store
YouTube	Should have Built in YouTube application and should support up to 4K resolution.
Software based Video conferencing	Device should support software based VC with internal android platform like Google meet, Cisco WebEx , Skype, Microsoft teams & zoom applications.
Gesture Control	Should have gesture control like Hold five fingers on screen for Interactive display sleep mode, hold and move three fingers on screen for Floating menu & swipe the screen Upside for Pull up menu control.
Smart USB Port	All USB 3.0 port should support Smart USB sharing for Android, Internal PC or other External PC / Device
Multilanguage GUI	Device should have GUI interface in both Hindi and English Language
Touch On/Off Button	Should have provision for Touch On/Off on front of Display
Screen Shot	Should have built-in screen shot option using single click
<b>Environment:</b>	
Accessories	Wall mount kit, 1x HDMI Cable (1.5 Meter), 1x USB A to B cable (1.5 Meter), 1x Power Cable (1.5 Meter)
Certifications	BIS certification required

## Technical Specifications of 98" Professional Display

Feature	Descriptions
<b>Interactive display</b>	
Screen size	98" or higher
Resolution	UHD 3840 × 2160 pixels or Higher
Brightness (typical)	500 nits or Higher
Contrast ratio (typical)	5000:1 or Higher
Response time	2 ms or Better
Light life (typical)	50,000 hrs or Higher
Smart Eye protection	Interactive display should have smart eye protection.
Auto Brightness Control	Interactive display should have inbuilt Light sensor to control brightness automatically based on ambiance light.
<b>Glass</b>	
Hardness	4 mm tempered AG Glass or Better
Anti-glare coating	Interactive display should have Anti-glare coating
<b>Touch screen</b>	
Touch technology	Infrared touch
Touch points	20 touch points or Higher
Touch response time	< 4 ms or Better
<b>System</b>	
CPU	Quad core 1.9 GHz or Better
Memory	8GB DDR3/DDR4 or Higher
Storage	64GB or Higher and expandable up to 512 GB
OS	Android 11.0 or Better
<b>Input/ Output ports</b>	
Input Ports (minimum)	3 × HDMI, 1x DP, 1x VGA, 1x YBPR In, 1 x AV (3.5mm), 1x Mic in (3.5mm), 1x PC Audio In, 1 x TF card (Micro SD), 1 x Slot-in PC (OPS) or Higher
Output Ports (minimum)	1 × HDMI, 1 x AV (3.5mm), 1x Earphone, 1x SPDIF or Higher
USB Ports (minimum)	5 × USB 3.0 Type A, 2 × USB Type C, 2 × USB Type B (touch) or Higher
Communication Ports (minimum)	1x RS232 In, 2 x RJ45 10/100/1000 Gigabit ethernet port (In & Out) or Better
<b>Built-in peripherals</b>	
Speaker	Stereo Sound with in-built 25 Watt x 2 speakers and subwoofer of 25 watt or higher
Magnetic pen holder	Should have inbuilt magnetic pen holder with up to two pens
Tutor friendly experience	Should have control buttons on Interactive display like Volume UP/Down; Home, Back, Menu, Touch on/off & Power Buttons for ease in teaching.
Quiz	Should have in built tool to allow participants to submit answers from their Smart Phones (Answering/Voting/Messaging)
Smart Multimedia Port	Should have Built in Type-c multimedia port on front side to deliver Video, Audio, Touch control, Internet Sharing and Fast charging of up to 65 watt using a single USB type C cable
SD Card Support	Should have provision to connect SD card supports up to 512 GB of Storage
SIM Card Module	Interactive Display should have inbuilt Sim card module to support 3G/4G Sim cards
Built in Wi-fi	Should have inbuilt Dual band Wi-fi (2.4 & 5Ghz)
Built-in Hotspot	Should have inbuilt Hotspot Dual band (2.4 & 5Ghz) with internet sharing across the connected devices
Stylus	Should have minimum 2 Nos of Stylus
Remote control	Should have remote control to operate the Interactive display
<b>Software</b>	

Whiteboard Interactive Software	Should have inbuilt whiteboard software for teaching/ training using Interactive display with Quiz results should be imported into whiteboard application Interactive software should be of the same OEM. Interactive software of the interactive Display should detect the Visual Presenter/ Visualiser and should be able to annotate on the image captured by the Visual Presenter/ Visualiser.
Wireless screen sharing	Interactive display should allow user to share/mirror the content of Laptop/Desktop and mobile device(Android) wirelessly and should have Screen Share software to show up to 4 Multiple screen at same time.
Quick access tool	Floating Tool should be available on all screen for quick access tools and same should be customized as per user requirement.
Play Store Support	Should have Built in Google Play store to download applications direct from Play store
YouTube	Should have Built in YouTube application and should support up to 4K resolution.
Software based Video conferencing	Device should support software based VC with internal android platform like Google meet, Cisco WebEx , Skype, Microsoft teams & zoom applications.
Gesture Control	Should have gesture control like Hold five fingers on screen for Interactive display sleep mode, hold and move three fingers on screen for Floating menu & swipe the screen Upside for Pull up menu control.
Smart USB Port	All USB 3.0 port should support Smart USB sharing for Android, Internal PC or other External PC / Device
Multilanguage GUI	Device should have GUI interface in both Hindi and English Language
Touch On/Off Button	Should have provision for Touch On/Off on front of Display
Screen Shot	Should have built-in screen shot option using single click
<b>Environment</b>	
Accessories	Wall mount kit, 1x HDMI Cable (1.5 Meter), 1x USB A to B cable (1.5 Meter), 1x Power Cable (1.5 Meter)
Certifications	BIS certification required

Technical specifications of Digital Podium	
Feature	Descriptions
Type/Mounting	Free Standing
Construction	The Podium shall be wheel mounted capable of moving in all directions with a facility of lock them while the Electronic podium is in use. The enclosure shall be made of Polymer Powder Coated Steel Body with wooden top panels, designed to work in suitable environmental conditions. The wooden top shall have lock and key and should have a sliding cover for opening/closing easily. The Podium should have housing and connectivity for Visual Presenter while the visualiser is in use and not in use at the time of using the Visualizer, drawer can be opened and Visualiser can be used. The construction of the podium should be such that, while the podium is locked and not is use, there should not be any port exposed/ visible on the outer body for breakage/mishandling.
Display	Built-in highly sensitive Interactive Panel with adjustable Motorized tilt & a mechanism to make the Panel stable so that it does not shake while writing with following minimum features -
Screen Type	LED
Size	53.0 cm (21 inches) or higher
Resolution	1920 x 1080 or higher
Aspect ratio	16:9/16:10
Computer interface	One USB, One VGA/DVI/HDMI Port
Interactive Resolution	4000 Lpi (lines per inch) or Better
Response Time	5ms
Touch	Finger
Speakers	Display panel should have Inbuilt Speaker
<b>System Details</b>	
Processor	Intel Core i7 (10th Gen or better processor) or higher
Small Form Factor	Computer should be of 2-liters Volume or less
In-Built Wi-Fi /Wireless LAN Card	Should have a inbuilt Wi-Fi / Wireless LAN Card
RAM	16 GB or higher
Hard Disk	256 GB SSD or higher
Ports (Min.)	HDMI x 1, USB x4, RJ 45 x1
Keyboard & Mouse	Wireless
Operating System	Windows 10 (Genuine)
MS Office	Original
Certification	BIS certificate require for Mini PC
<b>Controller</b>	
Ports on front Panel of Controller (Minimum)	VGA, HDMI, USB3.0x2, Audio IN or more
Buttons on front Panel of Controller (Minimum)	Push buttons to control Volume Up& Down, Volume Mute and to switch sources of HDMI Visual Presenter, VGA Visual Presenter, HDMI Laptop, PC HDMI, VGA Laptop, VGA PC and Controller Power On/Off, Display Power on and Power Off or more
Ports on Rear Panel of Controller (Minimum)	USB 3.0 X 2, VGA Input x 2, VGA Output x 2, RCA Audio IN X 1, RCA Audio Output x 2, HDMI Inputx2, HDMI Outputx2, Programming Port (Phoenix connector) or more
Built in HDMI Repeater	Yes (HDMI Output port should support 15mtr HDMI cable)
Controller Resolution Output	4K (3840 x 2160) Native
Power	5 V DC (Suitable Adaptor should be supplied with controller)
<b>Built in devices</b>	

Gooseneck Microphone	Gooseneck Microphone with XLR output. It should be Phantom powered so that there is no requirement of batteries thereby eliminating consumable cost. The gooseneck length should be at least 21.5cm with ON/OFF switch and with LED light indicating ON/OFF status. The gooseneck microphone shall be permanently polarised condenser, highly directional featuring hyper cardioid /lobar directivity.
Built in Amplifier Power	250 Watts minimum or higher
Speakers	Four speakers of Minimum 50 W each shall be a part of standard supply.
Sliding Trays	Provision for keeping laptop and Keyboard & Mouse
Security	Integrated authentication System having RFID, Password protection & Physical Key for secure access to system.
Fans	Suitable cooling fans to be provided in the lower body.

Technical Specifications of Full HD Video Conference camera	
Feature	Descriptions
Sensor	1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Optical Zoom	5x or higher
Digital Zoom	10x or higher
Minimal Illumination	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter	1/30s ~ 1/10000s
Video S/N	≥55dB
Field of View	80 degrees or better
Horizontal Rotation Range	±170 degree
Vertical Rotation Range	Minus 30 degrees ~ Plus 90 degree
Pan Speed Range	2.7 degrees ~ 35 degrees per second or better
Tilt Speed Range	1.7 degrees ~ 31 degrees per second or better
H & V Flip	Support
Image Freeze	Support
Number of Pre-set	255, 10 pre-sets on Remote control
Pre-set Accuracy	0.1°
Video System	1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25
<b>USB Featured</b>	
Operate System	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
Colour System	YUY2 / H.264 / MJPEG
Video Format	YUY2 (ISOC): 1080P@60fps H.264 AVC/SVC: 1080P@60fps MJPEG: 1080P@60fps
Audio on USB	Support
USB Video Protocol	UVC 1.1~1.5
<b>IPC Features</b>	
Video	H.264/MJPEG
Main Stream Resolution	1920x1080, 1280x720, 1024x576
Sub Stream Resolution	1280x720, 720x576, 320x240
Video Bit Rate	328Kbps ~ 20480Kbps
Bit Rate Type	Variable Rate, Fixed Rate
Frame Rate	50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps
Audio	AAC
Audio Bit Rate	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
Support protocols	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, OnVif, DHCP, Multicast
<b>Operational Requirement</b>	



Redundant Power Supply	Device should Support Minimum three power supply method for power redundancy Supports USB 5V power supply, 12V power adapter power supply and PoE power supply.
PoE Power Supply & Controlling	Device should Support PoE power supply for control, Video and audio only need one network cable.
Simultaneous Video Output	Device Should support HDMI, USB3.0 and LAN interface based Video output HD video at the same time.
Low Light	Device Should support High SNR of CMOS sensor, even under low illumination conditions, picture can still keep clean and clear.
Remote Control	All the parameters of the camera can be remote controlled by the high-speed communications
<b>Input/Output Interface</b>	
Video Output	1xUSB3.0, 1x HDMI, 1x RJ45
Network Interface	1xRJ45: 10M/100M Ethernet Interface
USB Interface	1x USB 3.0 Type-C
Audio Interface	1-ch: 3.5mm Audio Interface Line In
Communication Interface	1xRS232 In, 1xRS485
Power Jack	JEITA type (DC IN 12V)
<b>Generic Specification</b>	
Input Voltage	DC 12V, DC 5V, PoE(802.3af)
Certifications	BIS certification required

<b>Tender terms and Conditions</b>	
1	Bidder/ OEM should have a valid ISO 9001 & 14001 Certification and same should be attached with the technical bid.
2	Bidder should have Ink Signed and Stamped Authorization in Original from the OEM of all products and shall be submitted along with the Technical Bid. Original hard copy should be submitted before the due date and time of tender opening. Non-compliance shall result in the rejection of the tender.
3	Bidder must submit Earnest Money in Form of FDR/Demand Draft pledged in favour of "_____ " and same shall also be submitted along with the MAF before tender opening. Non-compliance shall result in rejection of bid.
4	Bidder may be asked to provide a detailed technical demonstration of all the quoted models of IT Hardware if required within a notice of 6/7 days.
5	Technical Catalogue of all quoted product with exact matching or higher specification to be attached with the technical bid and same should be available on OEM website. Non-compliance shall result in the rejection of the tender.
6	Annual Turnover: Bidder should have a minimum average annual turnover of Rupees 40 Lakhs in the last three financial years. Audited Balance sheets should be submitted along with the tender. Non-compliance shall result in the rejection of the tender.
7	Warranty: The goods supplied should be with a one-year onsite warranty and should include delivery, onsite installation, and onsite training.
8	The bidder must enclose a notarized certificate that the Organization has not been blacklisted by any institution of the Central/ State government / PSU/ University/ Institute etc. in the past three years.
9	Only those Financial Bids will be opened and evaluated which are found to fulfil all the eligibility and qualifying requirements of this Tender.
10	The Bidder shall quote composite price inclusive of Supply, Installation, Testing, Commissioning, Training & all Taxes.
11	Bidder should quote for all components/ products as asked in the tender. Non-compliance shall result in the rejection of the tender.
12	OEM should have experience in this field from last three year. Any order related to IT products to be attached with technical bid received from any govt dept direct on their name or their channel partner

बोली (bid) की मुख्य शर्तें:-

**1. शुल्क(fee)-**

- (अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Document & Bid Security Fees) बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निम्नानुसार दी जायेगी।

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	किसके पक्ष में (In favour of)
बोली प्रपत्र शुल्क	रु. 500/-	निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
प्रोसेसिंग फीस	रु. 500/-	एम.डी, आर.आई.एस.एल (MD RISL)
बोली प्रतिभूति	40,000/-	निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

- (ब) शुल्क जमा कराना-निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर ऑन लाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा इन्हें बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग शुल्क तथा संबंधित वस्तु के सैम्पल के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

**2. पात्रता (eligibility)-**

- (i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली(e-Bid)में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात् जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II/Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) बोली में अंकित संस्था में इण्डोर प्रशिक्षण हेतु स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने हेतु बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट-‘द’ (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन कर उपलब्ध करवाना होगा।
- (iii) किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. **सैम्पल(sample)-**

- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ सैम्पल हस्ताक्षरित कपडें में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) बोली आमंत्रण सूचना अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।
- (iii) विभागीय उपापन (procurement) समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जाँच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो जाँच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जाँच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं करता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

4. **दस्तावेज(document)-**

- (i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी(इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 देखें)।
- (ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।
- (iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमाकराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
- (iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक-ब की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में उसके आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. **वैधता(validity)-**

बोली की वैधता-प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. **अन्य शर्त(other condition)-**

- (i) उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक-अ,ब,स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (ii) निर्माता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।
- (iii) ई-बोली में ऑनलाईन स्कैन कर उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। RTPP Rules के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
- (iv) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

## 7. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु:-

- (i) उक्त उद्यमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाएंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।
- (ii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (iii) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र शर्त के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग-II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
- (v) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।
- (vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

8. सामान्य सूचना (General information)–

- (i) यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन (Procurement)में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान की जावेगी।
- (ii) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute)किसी उपापन (procurement)संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपह्त (Forefeit) लिया गया है तो बोली लगाने वाले कोयउपापन (procurement)संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने सेए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar)किया जा सकेगा।
- (iii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।
- (iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Puplic Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- (v) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगे।
- (vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।
- (viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले उपकरणों/आईटमों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त ड्रॉप (Drop) भी की जा सकेगी।
- (ix) बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-

1. उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

दूरभाष नं. 0141-2307433

ई-मेल. [dydirector.rpa@rajpolice.gov.in](mailto:dydirector.rpa@rajpolice.gov.in)

2. सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

दूरभाष नं. 0141-2302633

ई-मेल-[adadmn.rpa@rajpolice.gov.in](mailto:adadmn.rpa@rajpolice.gov.in)

कार्यालय का नाम	कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
अनुमानित मात्रा/संख्या	परिशिष्ट ई के अनुसार।
कुल अनुमानित कीमत	19.97 लाख रू.
बोली प्रतिभूति राशि	40,000 /- रू.
सप्लाई अवधि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक .....2023 तक सांय 3.00 बजे
बोली खुलने की तिथि (क्वालिफाईड बिड)	दिनांक .....2023 को सांय 4.00 बजे

कार्यालय, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर  
(बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड) –  
परिशिष्ट "अ"  
घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक-

- (I) .....के लिए बोली  
(खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-.....  
का नाम, डाक का पूर्ण पता, .....  
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल .....
- (III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है : निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ।
- (IV) सन्दर्भ :-  
बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-.....  
दिनांक ..... जो .....(समाचार पत्र का नाम) दिनांक .....में  
प्रकाशित हुई है ।
- (V) बोली प्रपत्र शुल्क:-राशि रुपये 500/- बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.  
दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है ।
- (VI) प्रोसेसिंग शुल्क :-राशि रुपये 500/- डीडी नं.....दिनांक .....द्वारा  
जमा करा दी है ।
- (VII) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या .....दिनांक .....में वर्णित सभी शर्तों से तथा  
विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा " परिशिष्ट ई" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना  
स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "स" तथा " परिशिष्ट ई" के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तों को  
स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर  
शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं ।
- (VIII) हम सहमत हैं कि कार्यादेश दिये जाने से 30 दिवस की अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी  
कर दी जाएगी ।
- (IX) हम सम्पुष्टि(confirm)करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईसबिड" खुलने  
की तिथि से 120 दिन तक विधि मान्य हैं ।
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईसबिड" में अंकित दरें विभागीय " परिशिष्ट ई " में अंकित  
स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।
- (XI) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या.....है ।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में  
निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य  
है ।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है।  
आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र.सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	हां/नहीं	जारी दिन. क्र/ वैधता दिनांक
1	बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक/डीडी नं..... दिनांक.....राशि.....		
2	प्रोसेसिंग फीस बैंकर चैक/डीडी नं.....दिनांक... .....राशि.....		
3	बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डीडी नं..... दिनांक.....राशि.....		
4	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र		
5	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)		
6	अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)		

7	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
8	जीएसटी रिटर्न एवं जीएसटी चालान की स्कैन प्रति		
9	बोलीदाता फर्म के बैंक का परिचय पत्र बोली में अंकितानुसार		

- (XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।
- (XV) हमारे द्वारा बोलीदत्त वस्तुओं का एक सील्ड सैम्पल बोली में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक कार्यालय, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करवा दिये जायेंगे।
- (XVI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्राईसबिड ई-बोली में निर्धारित प्रक्रिया से आवेदित की गई है।

**नोट :-**

- क्रम संख्या (XIII) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख 'Yes' or 'No' दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभ. 17 में बोली अमान्य कर दी जावेगी।
- बोली भरने की प्रक्रिया :-
  - परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ,ब,स, में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आइटम के परिशिष्ट-इ में अंकितानुसार स्पैसिफिकेशन के अनुसार सैम्पल कपड़े में सील करके हस्ताक्षर शुदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।
  - परिशिष्ट "ब" प्राईसबिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जाये। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईसबिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर



कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर  
परिशिष्ट "ब"  
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक :-

1. .... के लिए बोली  
(खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-  
का नाम, डाक का पूर्ण पता, .....दूरभाष, फ़ैक्स नम्बर एवं ईमेल  
आईडी :-
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :-बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-  
दिनांक ..... जो .....  
(समाचार जर्नल का नाम) दिनांक .....में प्रकाशित हुई है।
5. निम्नलिखित वस्तु के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-

(क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वस्तु  
का नाम :-

(ख) मात्रा :-

(ग) निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर निम्नानुसार अंकित करे:-

- (i) दरें-( प्रति प्रति नग/प्रति सैट) :-  
अंको में ई-टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावे।  
शब्दों में ई-टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ)में ही दी जावे।
- (ii) विभिन्न कर :-As applicable at the time of supply.  
ई-टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट(BOQ) में ही दी जावे।

नोट:-

- (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि(Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting)नहीं होवे।
  - (ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:- 'टेक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।
    - (i) वस्तुओं की दरों हेतु:-
      - (अ) यदि किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी।
      - (ब) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता के सामान का रंग अलग-अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग-अलग दी जाती हैं तो बोली पर अमान्य कर दी जाएगी।
6. जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें।
  7. बोली भरने की प्रक्रिया:-  
ई-बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट-अ में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जाये अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।  
परिशिष्ट-“स”

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक .....

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रक्रिया:-बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें:-
  - (अ) ई-बोली में अंकित आइटम की बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता(वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि/थोक विक्रेता/वितरक/चैन पार्टनर/एजेन्ट द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना होगा।
  - (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु:-
    - (i) किसी भी वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे, जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।
    - (ii) उक्त उद्यमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।
    - (iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
    - (iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

- के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में सं. बंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवंकय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप'A'में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग-II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B'में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
- (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।
- (viii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ix) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return) व चालान की प्रति:-
- (i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
- (iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-‘द’ पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक ‘ब’ अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट ‘द’ एवं अनुलग्नक ‘ब’ ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. यदि कोई बोलीदाता सफ़ाई करने या आंशिक सफ़ाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित किया जा सकता है।

#### 7. दरें :-

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-
  - (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
  - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
  - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।  
ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दरें एकसाईज ड्यूटी सहित ही अंकित की जावे। लेकिन एकसाईज ड्यूटी की दरें भी पृथक से अंकित की जावे। एकसाईज ड्यूटी में कालान्तर में हुई कमी एवं वृद्धि होने पर उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे “टैक्स पैड” “कर सहित” “एज एप्लीकेबल” का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा ऋज में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (v) बोली में दरें परिशिष्ट “इ” के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जी.एसटी/बिक्रीकर/वैट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट “इ” में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।
- (vi) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (vii) सफ़ाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की

शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

- (viii) सप्लाई द्वारा माल प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, माल को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्सम्बन्धी भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (x) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (xi) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (xii) किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

#### 8. दरों की तुलना:-

- (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नहीं करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में जीएसटी को शामिल करने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।
- (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।
- (iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोलीदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

#### 9. बातचीत (Negotiation) :-

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में

मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 120 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी(Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let)पर नहीं देगा।

13. स्पेसिफिकेशन:-

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14. सैम्पल:-

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ मांगे जा रहे वस्तुओं के सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किए जायेंगे एवं वस्तुओं के सैम्पल की विभागीय उपापन समिति द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी राजकीय/सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जाँच कराई

- जाती है तो जाँच पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल की जाँच के उपरान्त जाँच पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जायेगी। यदि कोई बोलीदाता जाँच शुल्क की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से जाँच शुल्क की राशि काट ली जावेगी।
- (ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें बोलीदाता का नाम व आईटम की कम संख्या भी अंकित करनी होगी।
- (iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- (iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जावेगी संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो विभाग द्वारा इनका समपहरण(Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (v) असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति राशि, विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जायेंगे। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट-फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नहीं लिये जायेंगे। विभाग द्वारा उनका समपहरण किया जायेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### 15. निरीक्षण एवं परीक्षण :-

- (i) (A) निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात् जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
- (B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।
- (ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (iii) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जायेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या

स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

- (v) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण(Inspection)उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
- (vi) रद्द करना(Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित कार्य अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी। परंतु उपापन समिति इस प्रकार रद्द किये जाने योग्य पाये गये सामान को क्रय करने के लिये बाध्य नहीं होगी।
- (viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

#### 16. माल की सप्लाई :-

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव(Leakage)या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाएगा।
17. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

#### 18. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट-‘अ’ में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवे. दन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- (iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों



में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहां प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ध्यान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेंगे।

19. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services)के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश;Repeat Orders)**

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items); अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश(Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50:से अधिक नहीं होगा।
- (iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

20. **संविदा के अधिनिर्णय(Award of Contract)के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:-**

सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त कर की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

21. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-**

- (i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जायेगी।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
- (iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होय के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50:मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म शब्द के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

- (iv) बोली आमंत्रण (e-bid) में अंकित वस्तु हेतु बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जाएगी:-
- (अ) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराई जा सकती है। या
- (ब) शैडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
- (स) बोली प्रतिभूति राशि अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी जिसे जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
- (v) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय(Refund of Bid security):- असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।
- (vi) (अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
- (vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।
- (viii) बोली प्रतिभूति का समपहरण(Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

**22. करार एवं सुरक्षा राशि(Agreement and Performance Security):-**

- (अ) बोली (bid)में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
- अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जायेगा।

- (i) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।
- (ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर राशि 500/- एक करार पत्र निष्पादित करना होगा ।
- (स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:—
- (i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति:—कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- (ii) यदि सफल बोलीदाता उस आइटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हों तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 2% के बराबर होगी।
- (iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (v) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है।
- (vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (vii) सुरक्षा राशि निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:—
- (क) “ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा”
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य रिक्विट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों जो यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ङ.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (disc harged)की जायेगी। उपापन नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमाऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समप त कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी

पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदिप्रस्तुत करना आवश्यक है।

(viii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Re-fund) किया जाएगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आइटम की अंतिम सप. लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

(ix) सुरक्षा राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit):- सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप. लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभि. प्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र

(xii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

23. बीमा:-

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. भुगतान:-

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाइ किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (iii) विवादस्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाइ पूर्ण करेगा।

(vi) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :-

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

- (क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए- 2.5%
- (ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक- 5%  
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
- (ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु- 7-5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
- (घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए- 10%
- (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाइ को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाइ पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।
- (ज) यदि माल की सप्लाइ करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो क्रेताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट: प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

25. वसूलियाँ:- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाइ, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाइ, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

26. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

27. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

28. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
30. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
31. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
32. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
33. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

—एस.डी.—  
निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,  
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

परिशिष्ट "द"  
पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर  
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता(वृहत/मध्यम/लघु)(जोISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर  
पूर्ण पता  
टेलीफोन नं.

शपथ पत्र

मैं .....

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अद्वेसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर  
पूर्ण पता  
टेलीफोन नं.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of ..... We hereby certify that M/S Name)..... of (Address) ..... is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No.....Dtd.....We hereby undertake to supply the material through him as desired.

(.....)

Signature of Manufacturer

Name .....

Name .....

Signature Attested

Designation.....

Seal of Manufacturer



## Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
  - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclu-

sion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to the Notice Inviting Bid No.....

Dated .....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

## Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is \_\_\_\_\_

The designation and address of the Second Appellate Authority is \_\_\_\_\_

### (1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (f)

### (5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i) hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

## **Annexure D: additional conditions of contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

### **2. Correction of arithmetical errors**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### **3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)**

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....  
.....  
.....  
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer

:.....  
.....  
.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellants Signature